

20/6/17

मसूदा (अजमेर)

पत्रावली केम्य. चाय कार्ड के द्वारा अफ पंचायत काडी पर पेश हुई कि मुलाखत  
इस/प्रकरण वर्ष 2011 में लम्बित चलने का 20 ईप लकील वादी की पुका  
जमा प्रकरण को सुननेलोक न लेने पर पाया कि इसी विषय वस्तु के लोके  
इस-सामान्य के प्रकरण लेखन 65/10 धारा 59.88. 188 के बाद विचारा  
की है कि प्रकरण चलने योग्य नहीं पाया जाता है। प्रकरण पर कार्रवाई  
स्वयं शेष की जाती है। निम्नलिखित प्रकरण प्रकरण नम्बर में किये हैं।

उपायुक्त अधिकारी  
मसूदा (अजमेर)

उपायुक्त अधिकारी  
मसूदा (अजमेर)

